

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री रामचरन शर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-11/2023 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO :-2023/27

दायर दिनांक :-27.02.2023

निर्णय दिनांक :-16.03.2023

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री रमेश चंद्र सैनी बाहैसियत (हाल सेवानिवृत) , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री बालूराम खारोल पुत्र श्री उंकार खारोल उम्र 38 जाति खारोल निवासी गांव भामाखेडा, सादडी, तह रेलमगरा जिला राजसमंद (फर्म मालिक व विक्रेता) मैसर्स श्रीराम किराणा एण्ड जनरल स्टोर, दरीबा रोड, अपना बाजार के पास, रेलमगरा जिला राजसमंद। मो. नं. 9784367545
2. श्री जगदीश चंद्र मुंदरा मैसर्स अमित टी सेन्टर, नया बाजार, फतेहनगर, जिला उदयपुर (राज.) मो. 9829846838
3. श्री राजेश अग्रवाल मैसर्स श्री अनुपम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, 1442, द्वितीय क्रोसिंग, बाबा हरिश्चंद्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर-302002 (राज.) मो. 9414076231
4. मैसर्स पी.बी. इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल, नदबई, जिला भरतपुर, राज. – 321602

– विपक्षी

अन्तर्गत धारा क्रमशः 26(2) (ii), 51 & 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम एवं विनियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25.07.2011 व 10.08.2011 के अनुसरण में श्री रमेश चंद्र सैनी बाहैसियत (हाल सेवानिवृत) , खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर **मिसब्राण्डेड** खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि श्री बालूराम खारोल पुत्र श्री उंकार खारोल उम्र 38 जाति खारोल निवासी गांव भामाखेडा, सादडी, तह रेलमगरा जिला राजसमंद (फर्म मालिक व विक्रेता) मैसर्स श्रीराम किराणा एण्ड जनरल स्टोर, दरीबा रोड, अपना बाजार के पास, रेलमगरा जिला राजसमंद जो की किराणा का व्यवसाय करते है, तथा इनकी दुकान मैसर्स श्रीराम किराणा एण्ड जनरल स्टोर, दरीबा रोड, अपना बाजार के पास, रेलमगरा जिला राजसमंद पर दिनांक 25.01.2022 को 04.30 पी.एम. पर वास्ते चेकिंग पहुंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश नहीं किया।

P.T.O.



वक्त निरीक्षण उक्त रेस्टोरेन्ट निरीक्षण के समय खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (टैंक एग्मार्क) 500 एमएल बोतल पैकिंग में 30-40 बोतल कार्टून में आम जनता के लिये विक्रय हेतु रखे हुए थे। एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (टैंक एग्मार्क) 500 एमएल की 04 पैक बोतले खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को रु. 400/- (चार सौ रुपये) विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (टैंक एग्मार्क) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (टैंक एग्मार्क) 04 नमूना भाग तैयार किये चारों नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग-2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए. आई-1399 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द ने पत्र क्रमांक : एफएसएसए/2022/487 दिनांक 09.02.2022 के साथ खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. /145/एक्ट/2022/145 दिनांक 04.02.2022 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार AI 1399 खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (टैंक एग्मार्क) का नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 10.01.2023 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।



P.T.O.

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश करने से मना किया गया। विपक्षी द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि उसके द्वारा उक्त **खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (टैंक एग्मार्क)** में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। तथा भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जावेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का **खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (टैंक एग्मार्क) मिसब्राण्डेड** होना पाया गया। अतः अभियुक्त ने **मिसब्राण्डेड** (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a)(C)(i) **खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (टैंक एग्मार्क)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा क्रमशः 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

अपराध कारित होने से विपक्षी संख्या 1. श्री बालूराम खारोल पुत्र श्री उंकार खारोल उम्र 38 जाति खारोल निवासी गांव भामाखेडा, सादडी, तह रेलमगरा जिला राजसमंद (फर्म मालिक व विक्रेता) मैसर्स श्रीराम किराणा एण्ड जनरल स्टोर, दरीबा रोड, अपना बाजार के पास, रेलमगरा जिला राजसमंद 2. श्री जगदीष चंद्र मुंदरा मैसर्स अमित टी सेन्टर, नया बाजार, फतेहनगर, जिला उदयपुर (राज.) 3. श्री राजेश अग्रवाल मैसर्स श्री अनुपम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, 1442, द्वितीय क्रोसिंग, बाबा हरिषचंद्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर 4. मैसर्स पी.बी. इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल, नदबई, जिला भरतपुर पर कुल राशि 25000/- रुपये (अक्षरे रूपया पच्चीस हजार रूपये) की पेनल्टी से आरोपित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करे, विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान से निर्णय दिनांक से एक माह की अवधि में राजकोष में आवश्यक रूप से जमा करा पावती प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2023 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर, टर्किंग कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय की प्रति संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।



(रामचरण शर्मा) 16/3/2023
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द